राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

लल्लू बनाम प्रभू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1196/2025	
27/11/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 10/12/2025 को पेश हो।	
10/12/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30/04/2025 पारित करते हुए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के हक़ में बखूबी साबित नही होना धारित करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि मूल वाद घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती का हैं जिसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से ख़ारिज किये जाने के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पो. विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं विधि में निहित प्रावधानों के अनुसरण में के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को उसकी खाते की आराजीयात के स्वतंत्र उपयोग-उपभोग से प्रतिबन्धित किया जाना प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत नही होता है। इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहे है। अत: ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30/04/2025 विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर